संख्या-34/2025/I/913162/2025/001-71-2002-002-2-2025-1

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-21-03-2025

विषयः- केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार स्थित नवीन परिसर में यू0जी0 कोर्स की 50 सीटों की वृद्धि हेतु इन्डोर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के निर्माण कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/508, दिनांक 23.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार स्थित नवीन परिसर में यू0जी0 कोर्स की 50 सीटों की वृद्धि हेतु इन्डोर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 446.00 लाख निर्गत किये जाने हेतु यथावश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि पूर्व में प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में शासनादेश संख्या-15/2023/31/71-2-2023/001-71-2002-001-5-2022, दिनांक 14.02.2023 अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत केन्द्रांश की धनराशि रू0 994.00 लाख (रू0 नौ करोड चौरानवे लाख मात्र) तथा संगत राज्यांश की धनराशि रू0 662.67 लाख (रू0 छः करोड बासठ लाख सडसठ हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 1656.67 लाख पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से संस्थान के एस0एन0ए0 खाते में हस्तान्तरित किया गया है।

3- अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-U.14017/31/2016-ME-II/Pt(2), दिनांक 21.03.2023 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना (केन्द्रांश-60 प्रतिशत/राज्यांश-40 प्रतिशत) के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में गोमतीनगर विस्तार स्थित नवीन परिसर में यू0जी0 कोर्स की 50 सीटों की वृद्धि हेतु इन्डोर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के निर्माण कार्य हेतु प्रश्नगत परियोजना हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू0 446.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

4- अतः केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार स्थित नवीन परिसर में यू0जी0 कोर्स की 50 सीटों की वृद्धि हेतु इन्डोर स्पोर्ट्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

काम्पलेक्स के निर्माण कार्य के संबंध में केन्द्रांश की धनराशि रू0 446.00 लाख (रुपये चार करोड़ छियालीस लाख मात्र) तथा उसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0 297.33 लाख (रुपये दो करोड़ सत्तानबे लाख तैंतीस हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 743.33 लाख (रुपये सात करोड़ तैंतालीस लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से संस्थान के एस0एन0ए0 खाते में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व शासनादेश संख्या-15/2023/31/71-2-2023/001-71-2002-001 -5-2022, दिनांक 14.02.2023 एवं शासनादेश संख्यात-42/2023/I/293704/2023-001-71- 2002-001-5-2022, दिनांक 28-03-2023 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धोंश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अन्य कार्य हेतु व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेग।
5. विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्व रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था प्रमुख एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
6. प्रश्नगत कार्य के लिये निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व संस्था प्रमुख का होगा।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
8. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
9. निदेशक एवं कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
10. निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 4,46,00,000 (रुपये चार करोड़ छियालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050127 एम0बी0बी0एस0 एवं पी.जी. पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि (के.60-रा.40/के.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्य (*2*) रुपये 2,97,33,000 (रुपये दो करोड़ सत्तानबे लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058927 एम0बी0बी0एस0 एवं पी.जी. पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-474-X-2024-25-दिनांक:20-3-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-34/2025/I/913162/2025/001-71-2002-002-2-2025-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-U.14017/31/2016-ME-II/Pt(2), दिनांक 21.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थाथन, लखनऊ।
10. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।